

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0
निदेशक, चकबंदी,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

पटना, दिनांक 05/12/2023 /

विषय :- नालन्दा जिलान्तर्गत ईसलामपुर-बाईपास पथ निर्माण हेतु ग्राम-इचहोस, थाना नं0-101 में भू-अर्जन मुआवजा भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1824/भू0अ0 दिनांक 21.08.2023 एवं निदेशालय का पत्रांक 1043 दिनांक 12.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विषयांकित मामले के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त की गयी है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है :-

“Detail deliberation has been held with Id ACS, R& L R Department and officials, District Collector of Nalanda. It has been agreed in Principle, that to resolve the complex issue, Compensation would be determined in favour of raiyat who is in actual Physical Possession of land continuously for long irrespective of his status in the records of Chakbandi or Khatiyani. In order to ascertain actual Physical Possession and identification of raiyat, the D.M. would be constitute Committee of officials, who would be required to make on spot verification and after such verification exercise, submit their report to the Collector. The same being approved by the Collector, Compensation would be determined and Payable to identified raiyat whose possession over land in question has been established. Need less to say that Committee while making on spot verification may also examine revenue records, including records of consolidation.”

अतः अनुरोध है कि यथावर्णित परामर्श के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत ईसलामपुर-बाईपास पथ निर्माण हेतु ग्राम-इचहोस, थाना नं0-101 में भू-अर्जन मुआवजा भुगतान के बिन्दू पर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
निदेशक, चकबंदी।

ज्ञापांक1286...../चक0, पटना, दिनांक 05/12/2023/

प्रतिलिपि :- अपर सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दयानिधान पाण्डेय)
निदेशक, चकबंदी।